

भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3267
उत्तर देने की तारीख 16 दिसंबर, 2024
सोमवार, 25 अग्रहायण 1946 (शक)

कौशल अंतर का विश्लेषण

3267. श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले सहित देश भर में पिछले पांच वर्षों में कौशल आपूर्ति, मांग और अंतर की समस्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में कौशल अंतर की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों में आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले सहित, योजनावार और राज्यवार देश में कौशल अंतर की समस्या से निपटने के लिए कुल कितना धन आवंटित और उपयोग किया गया है;

(घ) आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले सहित देश भर में पिछले पांच वर्षों में राज्यवार ऊपर पहचानी गई योजनाओं के लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार ने देश भर में कौशल अंतर के मुद्दे से निपटने के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी और सीएसआर अभियान पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी उद्योगपतियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) का गठन किया है। इन एसएससी को संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल अर्हता मानकों

को निर्धारित करने का अधिकार है। एसएससी समय-समय पर कौशल अंतराल अध्ययन आयोजित करते हैं जो आवश्यक कौशल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इस तरह के अध्ययन उद्योग की जरूरतों के अनुसार कार्यबल तैयार करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप का मार्गदर्शन करते हैं। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित जिला कौशल समितियों (डीएससी) को जमीनी स्तर पर कौशल विकास और कार्यान्वयन के लिए विकेन्द्रीकृत योजना को बढ़ावा देने के लिए जिला कौशल विकास योजनाएं (डीएसडीपी) तैयार करने का अधिकार है। डीएसडीपी रोजगार के अवसरों के साथ-साथ जिले में कौशल की संबंधित मांग वाले क्षेत्रों की पहचान करते हैं और कौशल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का मानचित्रण करते हैं। सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में पहचाने गए कौशल अंतर को पाटने के लिए डिजाइन और कार्यान्वित किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए, एलुरु सहित सभी जिलों के लिए वर्ष 2024-25 के लिए डीएसडीपी प्राप्त हो गए हैं।

भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों अर्थात् प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलान्वयन प्रशिक्षण प्रदान करना है। मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उद्योग प्रासंगिक कौशल से युक्त करना है।

(ग) एमएसडीई की किसी भी स्कीम के तहत जिलों को सीधे तौर पर निधि जारी नहीं की जाती है। पीएमकेवीवाई और जेएसएस स्कीमों के तहत, निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि जारी की जाती है। एनएपीएस के तहत, लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से जारी किया जाता है। आईटीआई के संबंध में दैनिक प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/यूटी प्रशासन के पास है। 2023-24 तक विगत पांच वर्षों के दौरान पीएमकेवीवाई, जेएसएस और एनएपीएस के कार्यान्वयन के लिए जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ) एमडीएसई की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2023-24 तक विगत पांच वर्षों के दौरान प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या का राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। इसी अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में नामांकित प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

पीएमकेवीवाई	जेएसएस	एनएपीएस	सीटीएस
315	-	24	8,558*

* नामांकित उम्मीदवार

(ड) जी हां। एनएपीएस के तहत, प्रतिष्ठानों द्वारा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को भी शामिल करते हुए प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया जाता है। प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) वास्तविक औद्योगिक वातावरण में आईटीआई छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योगों के सहयोग से फ्लेक्सी एमओयू योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है। डीजीटी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क, अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, उभरते आर्थिक अवसरों के लिए उद्योग-तैयार कार्यबल तैयार करने के उद्देश्य से अहमदाबाद और मुंबई में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) की स्थापना की गई है। इसके अलावा, एमएसडीई के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) व्यापक कुशल भारत मिशन के भीतर कॉर्पोरेट्स, फाउंडेशन, सरकारी संस्थाओं और समुदाय-आधारित संगठनों सहित विविध हितधारकों के साथ साझेदारी बनाने के लिए उद्योगों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ता है। यह तालमेल एक एकल-खिड़की सुविधा प्रणाली प्रदान करता है, जो उद्योग के खिलाड़ियों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोननयन पहलों पर सहयोग करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है।

‘कौशल अंतर का विश्लेषण’ के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3267 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर के संदर्भ में

विगत पांच वर्षों 2023-24 तक के दौरान कौशल विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए जारी धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

(क) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):

क्र.सं.	राज्य	करोड़ रुपए में				
		वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.88	1.15	0.59	0.075	0.03
2	आंध्र प्रदेश	42.46	34.04	9.55	3.16	35.71
3	अरुणाचल प्रदेश	9.56	14.46	10.11	1.49	5.35
4	असम	59.83	75.20	53.46	11.01	43.28
5	बिहार	92.36	62.41	55.8	15.82	31.97
6	चंडीगढ़	2.47	0.91	0.49	0.26	0.61
7	छत्तीसगढ़	27.90	7.19	3.98	2.48	13.02
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2.32	0.33	0.18	0.01	0.26
9	दिल्ली	39.43	48.63	3.52	3.6	12.63
10	गोवा	0.58	0.06	0.04	0.06	0.24
11	गुजरात	47.55	27.01	9.04	3.36	16.29
12	हरियाणा	63.39	35.57	8.66	3.93	26.91
13	हिमाचल प्रदेश	29.13	14.05	5.44	2.81	9.41
14	जम्मू और कश्मीर	43.88	35.83	16.52	16.79	34.91
15	झारखंड	30.63	10.86	9.45	4.95	13.31
16	कर्नाटक	52.51	45.28	11.69	3.48	18.39
17	केरल	17.35	11.11	6.63	4.64	11.23
18	लक्षद्वीप	-	-	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	117.53	63.67	45.04	19.24	51.25
20	महाराष्ट्र	180.21	104.65	25.46	7.1	43.21
21	मणिपुर	10.53	18.30	7.62	2.06	7.05
22	मेघालय	9.31	5.31	2.92	0.45	2.96
23	मिजोरम	5.62	5.74	3.1	0.81	3.06
24	नागालैंड	3.37	3.18	1.74	3.09	3.88
25	ओडिशा	78.97	44.02	14.5	5.41	20.22
26	पुदुचेरी	2.50	2.68	1.27	0.49	2.67
27	पंजाब	61.10	29.93	10.9	5.19	27.27
28	राजस्थान	101.76	68.14	35.3	10.4	63.46
29	सिक्किम	3.78	3.31	1.65	0.85	3.15
30	तमिलनाडु	47.15	31.66	11.04	5.4	41.52
31	तेलंगाना	41.36	24.13	9.38	3.66	24.48
32	त्रिपुरा	9.77	21.57	8.52	1.6	5.72
33	उत्तर प्रदेश	214.61	133.05	66.65	19.08	97.6
34	उत्तराखंड	28.98	12.74	6.72	4.79	13.75
35	पश्चिम बंगाल	70.65	31.49	18.36	6.11	25.1
36	लद्दाख	-	0.12	0.26	0.337	1.02

(ख) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)

राज्य	करोड़ रुपए में				
	वित्त वर्ष 19-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
अंडमान और निकोबार	-	3.12	0.45	0.50	0.50
आंध्र प्रदेश	2.75	-	3.03	3.31	3.36
अरुणाचल	0.50	2.46	-	-	-
असम	2.47	5.34	2.91	2.74	2.74
बिहार	6.19	0.49	9.25	11.90	11.69
चंडीगढ़	0.51	3.07	0.42	0.52	0.56
छत्तीसगढ़	3.42	0.48	6.70	7.61	7.34
दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	0.48	-	0.82	0.95	0.96
दिल्ली	-	1.48	-	-	-
गोवा	1.50	0.50	1.44	1.68	1.68
गुजरात	0.50	5.00	0.48	0.56	0.55
हरियाणा	4.83	2.50	5.12	4.79	4.48
हिमाचल प्रदेश	2.50	0.76	2.45	2.15	2.20
जम्मू कश्मीर	0.25	0.88	4.77	5.71	5.72
झारखंड	0.96	1.30	1.15	0.13	0.25
कर्नाटक	1.44	4.38	5.32	5.72	6.31
केरल	4.30	4.37	5.60	6.51	6.63
लद्दाख	4.41	-	4.17	5.01	5.04
लक्षद्वीप	-	-	0.57	0.46	0.25
मध्य प्रदेश	-	12.87	0.20	0.50	0.46
महाराष्ट्र	13.58	9.78	14.28	14.94	15.03
मणिपुर	10.39	1.50	10.17	11.31	11.46
मेघालय	1.50	-	1.94	2.23	2.18
मिजोरम	-	-	0.20	0.50	0.50
नागालैंड	-	0.50	0.45	0.56	0.52
ओडिशा	0.50	8.01	0.95	0.64	0.63
पंजाब	8.16	0.97	13.23	15.38	15.19
राजस्थान	1.00	2.51	0.75	1.05	0.99
तमिलनाडु	2.49	3.36	4.06	4.29	4.52
तेलंगाना	3.92	2.93	3.19	4.06	4.32
त्रिपुरा	3.18	0.48	2.74	3.20	3.24
उत्तर प्रदेश	0.46	22.05	0.84	1.07	1.02
उत्तराखंड	22.84	2.72	22.99	25.79	26.03
पश्चिम बंगाल	2.95	3.87	3.46	4.64	4.34

(ग) राष्ट्रीय शिक्षता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस)

करोड़ रुपए में						
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	आंध्र प्रदेश	2.680	5.638	1.960	9.287	3.206
3	अरुणाचल प्रदेश	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	असम	3.920	2.955	5.100	1.680	0.002
5	बिहार	0.000	1.156	1.020	0.228	1.415
6	चंडीगढ़	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	छत्तीसगढ़	0.000	0.390	1.000	2.177	1.181
8	दादरा एवं नगर हवेली	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000
9	दमन और दीव	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	दिल्ली	5.680	7.261	7.550	1.606	3.497
11	गोवा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.230
12	गुजरात	1.000	28.962	14.050	27.298	28.988
13	हरियाणा	0.950	6.049	1.190	4.244	10.115
14	हिमाचल प्रदेश	0.210	0.628	0.650	0.777	0.464
15	जम्मू और कश्मीर	0.000	0.208	0.170	0.062	0.000
16	झारखंड	0.000	0.510	0.850	0.080	3.080
17	कर्नाटक	0.066	2.492	6.020	9.448	3.450
18	केरल	0.000	0.944	10.100	4.907	6.140
19	लद्दाख	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	लक्षद्वीप	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21	मध्य प्रदेश	8.129	2.377	10.400	1.698	1.598
22	महाराष्ट्र	2.250	6.230	5.720	9.515	17.064
23	मणिपुर	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24	मेघालय	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
25	मिजोरम	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26	नागालैंड	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
27	ओडिशा	0.250	2.340	3.950	0.674	3.455
28	पुदुचेरी	0.000	0.000	0.000	2.000	0.000
29	पंजाब	0.074	0.528	0.800	0.813	2.345
30	राजस्थान	0.005	0.997	2.500	2.097	0.777
31	सिक्किम	0.000	0.000	0.000	0.352	0.000
32	तमिलनाडु	8.435	7.897	6.590	19.512	6.483
33	तेलंगाना	3.500	5.493	5.280	4.146	6.929
34	त्रिपुरा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
35	उत्तर प्रदेश	2.000	4.305	7.500	4.343	2.443
36	उत्तराखंड	0.006	4.623	1.700	1.577	0.442
37	पश्चिम बंगाल	5.112	2.801	4.500	1.982	0.145

विगत पांच वर्षों 2023-24 तक के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य सहित प्रशिक्षित उम्मीदवारों का राज्य-वार विवरण:

(क) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1259	1464	613	310	648
आंध्र प्रदेश	105667	66404	13199	5798	32421
अरुणाचल प्रदेश	15700	51991	8884	667	4152
असम	198896	362506	24517	8721	38189
बिहार	191902	96288	47643	12213	23583
चंडीगढ़	9507	3834	893	491	319
छत्तीसगढ़	46548	16151	9495	4356	8367
दिल्ली	146205	55121	19965	2262	10686
गोवा	4300	1709	604	176	183
गुजरात	155195	48489	35001	6503	19975
हरियाणा	175386	54719	18191	8963	27365
हिमाचल प्रदेश	48870	15612	8724	3539	5348
जम्मू और कश्मीर	122659	58927	21339	7352	28875
झारखंड	120103	15452	34233	5302	8796
कर्नाटक	165247	53066	23153	8410	13025
केरल	78523	31077	12968	5673	8802
लद्दाख	1937	181	731	246	445
लक्षद्वीप	60	90	120	0	0
मध्य प्रदेश	223483	95403	46659	21345	34833
महाराष्ट्र	637002	148352	39864	14913	35257
मणिपुर	28962	34540	6424	1146	2879
मेघालय	11999	17769	3406	1245	2502
मिजोरम	10837	11433	4742	1162	3533
नागालैंड	17364	14399	4184	1803	3830
ओडिशा	239050	68828	12645	12116	21428
पुदुचेरी	7172	3241	1622	689	1556
पंजाब	97681	57054	18539	7568	11816
राजस्थान	446900	97822	38511	9232	23551
सिक्किम	5123	3634	1322	381	2802
तमिलनाडु	185108	72404	29057	8029	34507
तेलंगाना	108145	33999	13107	8040	15390
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	5338	222	252	31	301
त्रिपुरा	50388	46676	4490	1608	5081
उत्तर प्रदेश	656829	239286	69015	25568	71530
उत्तराखंड	68250	29412	10522	2942	11584
पश्चिम बंगाल	177880	53221	31406	12370	25766

(ख) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अंडमान और निकोबार	0	0	900	1800	1800
आंध्र प्रदेश	10901	8580	11699	16200	10800
अरुणाचल प्रदेश	570	0	0	0	0
असम	9243	8883	9139	12600	9000
बिहार	22708	16314	28769	56594	37786
चंडीगढ़	1836	1120	1600	2700	1800
छत्तीसगढ़	13483	10480	18151	37777	23376
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1558	897	2379	3255	3179
दिल्ली	5487	4940	5440	8099	5398
गोवा	1741	1664	1740	2700	1800
गुजरात	18640	16840	19228	23917	14160
हरियाणा	9002	8705	8939	10728	7181
हिमाचल प्रदेश	1400	1504	8424	28244	18630
जम्मू और कश्मीर	3429	3554	2396	500	1020
झारखंड	5383	4424	9964	25220	22439
कर्नाटक	16201	15525	18735	31492	21532
केरल	16247	13900	16148	24300	16198
लद्दाख	0	0	0	600	212
लक्षद्वीप	0	0	0	1481	1772
मध्य प्रदेश	50449	45501	52222	70259	49089
महाराष्ट्र	38023	35102	38479	52934	37273
मणिपुर	5387	5327	6285	10278	7197
मेघालय	0	0	0	1660	1800
मिजोरम	0	0	900	2472	1800
नागालैंड	1800	1800	1812	1999	2631
ओडिशा	30677	25820	40635	71765	50828
पंजाब	3434	1607	3567	4138	3560
राजस्थान	9069	9493	12443	20651	14831
तमिलनाडु	14244	11727	14045	19784	14780
तेलंगाना	12452	8497	10398	15639	10300
त्रिपुरा	1631	1101	2610	5397	3600
उत्तर प्रदेश	85436	77335	88648	122510	84573
उत्तराखंड	10776	8800	12433	20687	14393
पश्चिम बंगाल	14125	10356	13868	17904	12599

(ग) राष्ट्रीय शिक्षता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	3	9	41	48
आंध्र प्रदेश	3860	4394	15722	16203	21701
अरुणाचल प्रदेश	0	3	18	42	65
असम	2204	2452	14006	9661	8173
बिहार	1155	1237	6476	5543	5317
चंडीगढ़	346	280	813	671	1227
छत्तीसगढ़	5637	1653	2660	4881	5259
दिल्ली	4937	7784	17799	15818	15956
गोवा	1720	2032	3432	4406	11882
गुजरात	45107	56911	69567	76226	83955
हरियाणा	18920	31853	42343	62865	66720
हिमाचल प्रदेश	1898	1767	5669	6825	10212
जम्मू और कश्मीर	304	260	832	989	859
झारखंड	2133	5034	8258	9152	11882
कर्नाटक	13764	17276	42084	58523	78456
केरल	3899	6426	8975	11275	13104
लद्दाख	0	6	18	28	66
लक्षद्वीप	0	18	4	9	6
मध्य प्रदेश	6942	9522	17093	21205	22707
महाराष्ट्र	36617	71475	146865	185999	263245
मणिपुर	16	11	90	32	18
मेघालय	51	105	117	181	212
मिजोरम	4	1	4	4	12
नागालैंड	14	1	27	22	15
ओडिशा	3391	3681	8296	10458	10755
पुदुचेरी	481	299	1090	1343	2469
पंजाब	2856	4459	11659	15361	14761
राजस्थान	4073	6417	9473	15204	18230
सिक्किम	128	162	308	202	298
तमिलनाडु	13602	24912	49929	72311	101553
तेलंगाना	9654	13996	38454	31821	37774
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	97	597	1282	1006	2878
त्रिपुरा	437	255	244	368	383
उत्तर प्रदेश	12584	19955	38039	56946	71504
उत्तराखंड	2489	4360	9986	16436	21058
पश्चिम बंगाल	6149	7370	18791	26109	29538

(घ) शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (नामांकित उम्मीदवार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	441	619	531	450	481
आंध्र प्रदेश	56264	49142	45612	48110	50568
अरुणाचल प्रदेश	564	577	497	674	735
असम	2965	3210	3500	3548	5325
बिहार	112408	105030	110399	90377	125577
चंडीगढ़	968	831	910	907	1083
छत्तीसगढ़	21831	19571	22320	20816	24226
दिल्ली	9757	8672	8774	9261	10266
गोवा	1727	1742	2080	2126	2256
गुजरात	69531	85391	81236	84648	98454
हरियाणा	53251	54275	49032	45161	54944
हिमाचल प्रदेश	22203	17923	20332	22691	23437
जम्मू और कश्मीर	4396	7545	8062	8130	8504
झारखंड	33463	25626	29760	35573	40103
कर्नाटक	73714	54244	66238	73019	78663
केरल	35201	31632	35493	34741	33222
लद्दाख	151	118	171	326	368
लक्षद्वीप	246	435	374	303	360
मध्य प्रदेश	73278	71096	63306	69194	73223
महाराष्ट्र	110734	102680	112997	121884	128333
मणिपुर	80	82	108	668	812
मेघालय	512	514	508	738	714
मिजोरम	274	242	256	334	396
नागालैंड	228	222	186	267	240
ओडिशा	49043	49694	57401	54005	65801
पुदुचेरी	789	687	689	737	796
पंजाब	39747	47590	39992	39986	43994
राजस्थान	136224	101614	95342	99263	109595
सिक्किम	207	260	181	424	312
तमिलनाडु	35024	27315	28496	35078	41168
तेलंगाना	32775	29468	27183	26480	29557
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	319	318	443	666	908
त्रिपुरा	1497	2043	1603	2470	2462
उत्तर प्रदेश	336119	279998	273714	269106	333601
उत्तराखंड	11052	8344	8918	10807	11542
पश्चिम बंगाल	32506	30696	29207	37711	44221